रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)- 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1982/ज्येष्ठ 29, 1904
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1982/JYAISTHA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1982

सा०का०नि० 551:—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 153क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एस० चक्रवर्ती, को अर्जित अवकाश के पश्चात् अपना कार्यभार पुनः संभालने के परिणामस्वरूप 31-5-1982 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत लोक न्यासी को कार्य करने और उसको प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए लोकन्यासी के पद पर नियुक्त करती है।

[संख्या ए-45011/19/82-प्रशासन-1]

आर० डी० मखीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 4th June, 1982

G.S.R. 551.—In exercise of the powers conferred by Section 153-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri S. Chakravarthy, an officer of Indian Administrative Service, as the Public Trustee w.e.f. 31-5-1982 (forenoon), consequent upon the resumption of his duties after availing the earned leave, until further orders, to discharge the functions and to exercise the rights and powers conferred on the Public Trustee by or under the said Act.

[No. A-45011/19/82-Admn.I]

R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1982

सा०का०नि० 552—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक पूर्ति विभाग, निदेशक (बाट और माप) भर्ती नियम,* 1980 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिक पूर्ति विभाग, निदेशक (बाट और माप) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिक पूर्ति विभाग, निदेशक (बाट और माप) भर्ती नियम, 1980 से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 6 के नीचे की प्रविष्टि में "(सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)" (कोष्ठक में) शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।"

*भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (I) तारीख 5 जुलाई, 1980 पृष्ठ 1448 से 1450 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० सा० का० नि० 704, तारीख 19 मई, 1980 देखिए।

[फा० सं० ए-12011/73/77-स्था०-2]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 1982

सा० का० नि० 559 —दिनांक 23 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) के पृष्ठ 224 से 229 पर प्रकाशित भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 4 जनवरी 1982 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 86 की अनुसूची के खाना-7 में—

(1) पृष्ठ 227 पर :

(क) नोट 1 में, पंक्ति 1 और 2 में "अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट" के लिए "अर्हताओं में छूट" पढ़ा जाए;

(ख) नोट 2 में : पंक्ति 6 के बाद शब्द "अनुसूचित जातियों और" जोड़ा जाए, और

(ग) पंक्ति 7 में : शब्द "अनुसूचित जनजातियों" के बाद शब्द "यदि" जोड़ा जाए;

(2) पृष्ठ 228 पर :—

(क) पंक्ति 16 में : शब्द "मंडलन संयंत्रों" के लिए "मंडलन योजनाएं" पढ़ा जाए, और

(ख) पंक्ति 22 में "मानकों" के बाद "पर" हटा दिया जाए।

[फा० सं० ए०-12018/11/77-ई-1 3-वी० ई० I (वी०ई०/एस एफ एस)]
वी० जयचन्द्रन अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th May, 1982

G.S.R. 559.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. GSR 86, dated the 4th January, 1982 published at pages 224-229 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 23rd January, 1982 in the entry under column 7 of the Schedule—

(1) at page 227—

(a) against note 1 : in lines 1 and 2 *for* "Qualifications regarding experience is relaxable" *read* "Qualifications are relaxable";

(b) against note 2 : after line 6 and the words "Scheduled Castes and"; and

(c) in line 7 after the words "Scheduled Tribes" add the word "if" ;

(2) at page 228—

(a) in line 16 : *for* the words "zoning plants" *read* "zoning plans" ; and

(b) in line 22 omit "on" after "standards"

[F. No. A-12018/11/77-E. I (VE/SFS)]
V. JAYACHANDRAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जून, 1982

सा० का० नि० 560 :-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में फार्म रेडियो रिपोर्टर के पद से संबंधित क्रम सं० 45 के सामने,—

(i) स्तम्भ 5 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"100 % सीधी भर्ती द्वारा ।";

(ii) स्तम्भ 7 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"100 % सीधी भर्ती द्वारा ।";

(iii) स्तम्भ 10 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में उपाधि

या

कृषि में डिप्लोमा के साथ ग्राम सेवक के रूप में या विस्तार और विस्तार सूचना कार्य अर्थात् रेडियो और दूरदर्शन या कृषि प्रचार के किसी समतुल्य पद पर 3 वर्ष का अनुभव,

या

ग्राम सेवक के रूप में दो वर्ष के प्रशिक्षण के साथ ग्राम सेवक के रूप में या किसी समतुल्य पद जिसके अन्तर्गत कृषि प्रचार भी है, पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ।

उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र में, जिसमें रेडियो स्टेशन या केन्द्र स्थित है, की भाषा/बोली में वाक्पटुता ।

वांछनीय :

प्रचार तकनीकों का कुछ अनुभव ।"

[संख्या 12019/3/81-बी(ए)]
आर० डी० जोशी, अवर सचिव

*30 नवम्बर, 1964 के सा० का० नि० 1776 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए । बाद में इन नियमों में 32 संशोधन अधिसूचित किए गए और इसलिए सभी संशोधनों के राजपत्र संदर्भों को फुट नोट में शामिल करना दुर्वह है ।

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 1st June, 1982

G.S.R. 560.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964,* namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C') Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, against serial number 45, relating to the post of Farm Radio Reporter —

(i) for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"100% by direct recruitment." ;

(ii) for the entry under column 7, the following entry shall be substituted, namely :—

"100% by direct recruitment." ;

(iii) for the entry under column 10, following entry shall be substituted, namely :—

"Essential : Degree in agriculture from a recognised university,

OR

Diploma in agriculture with 3 years' experience as Village Level Worker (Gram Sewak) or an equivalent

*Notified under G.S.R. 1776 dated 30-11-1964 subsequently 32 amendments to these Rules were notified, and as such it is unwieldy to include the Gazette reference of all the amendments in the foot note.

post of extension and extension information work i.e. radio and television or agriculture publicity,

OR

two years' training as Village Level Worker (Gram Sevak) with at least3 years' experience as Gram Sevak or in an equivalent post including agriculture publicity.

Fluency in the language/dialect of the State or Union territory in which the radio Station or centre is situated.

Desirable :

Some experience of broadcasting techniques.".

[No. 12019/3/81-B(A)]

R. D. JOSHI, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1982

सा० का० नि० 561.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार मंत्रालय के अधीन डाक-तार विभाग में सहायक महानिदेशक (विशेष कार्य अधिकारी सतर्कता प्रशिक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक महानिदेशक (विशेष कार्य अधिकारी सतर्कता प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति।—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह वहां, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक महानिदेशक (विशेष कार्य अधिकारी सतर्कता प्रशिक्षण)	*1 *(1982) कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता